न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-17RAAJodhpur2023-08RTA225 Bhikalee Vs Balram etc

भीकली पुत्री श्री गणेशराम, जाति जाट, निवासी– कुकदड़ा, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. बलराम पुत्र मोहनराम, जाति जाट, निवासी– आसोप, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
2. तहसीलदार भोपालगढ, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 30 सितंबर 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 31/2021 बलराम बनाम भीकली इत्यादि

उपस्थित–
श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री अशोक चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 21 मार्च 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 31/2021 बलराम बनाम भीकली इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 30 सितंबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 04 जनवरी 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलार्थीनी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 576 रकबा 0.8822 हैक्टेयर ग्राम आसोप

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

चक प्रथम में आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 596 में सें रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30 सितंबर 2022 के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को न तो किसी प्रकार का नोटिस भेजा गयाा था, न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2022 की आदेशिका के तहत सही नाम से रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भेजने का आदेश दिया गया था, उसके बाद कोई रजिस्टर्ड सम्मन सही नाम से नहीं भेजा गया था, उसके उपरांत भी दिनांक 18.04.2022 को रसीद पेश करना बताकर अपीलार्थीनी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी। अपीलार्थीनी की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं चलता है, रेस्पोडेंट के आवागमन हेतु रास्ता मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नंबर 575 पर चलना बताया गया है, उसके बाद रेस्पोडेंट का खसरा नंबर 576 आता है, फिर भी अपीलार्थीनी के खेत में से रास्ते का आदेश पारित करने में विचारण न्यायालय द्वारा भारी भूल की गई है। दौराने बहस वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु खसरा नंबर 576 की दक्षिणी सीमा तक ही रास्ते की आवश्यकता है। मौका फर्द में उक्त रास्ता आगे बढाया गया है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि मौका फर्द में रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर रास्ता चालू हालत में उपलब्ध होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई औचित्य ही नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों एवं मौके पर उपलब्ध रास्ते के विकल्प के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलार्थीनी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थीनी पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से अपीलार्थीनी को अपीलाधीन आदेश की समय पर जानकारी नहीं हो सकी। हाल ही में दिनांक 15.12.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2022 को रेस्पोडेंट संख्या एक जबरदस्ती रास्ता निकालने की कोशिश की, तब अपीलार्थीनी ने ऐसा करने से मना किया तो रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अपने पक्ष में फैसला होने का कथन किया गया। तब अपीलार्थीनी द्वारा अपीलाधीन आदेश की नकले प्राप्त कर जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की है। इससे पूर्व अपीलार्थीनी को अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी नहीं थी।

अंत में अपीलार्थीनी के अधिवक्ता ने निवेदन किया किं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30 सितंबर 2022 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता लघुतम एवं निकटतम है जो मौके पर चलायमान है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ते का विकल्प नहीं बताया है। अपीलाधीन रास्ते की भूमि दो गांवों के बीच की अवशेष भूमि है तथा मौके पर रास्ता चलायमान है। विचारण न्यायालय द्वारा मौका फर्द के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलार्थीनी द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा(विचारण न्यायालय की पत्रावली का पृष्ठ संख्या 16) में अपने खेत खसरा नंबर 576 की दक्षिणी सीमा तक ही अपीलार्थीनी के खेत खसरा नंबर 596 में सें रास्ता चाहा गया है। भू–अभिलेख निरीक्षक गजसिंहपुरा द्वारा मौका फर्द तैयारी के वक्त वांछित रास्ते को रेस्पोडेंट संख्या एक के खेत की दक्षिणी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सीमा तक मिलाने के बजाय रास्ते को आगे बढाते हुए खसरा नंबर 576 की उतरी सीमा तक आगे लंबा बढाया गया है जो प्रथमदृष्टया विधिसम्मत नहीं है। मौका फर्द दिनांक 17.09.2022 में अंकन है कि वांछित रास्ता राजस्व ग्राम कुकदड़ा एवं आसोप की सीमा पर स्थित है तथा सीमा अंतर की वजह मौके पर चलने वाला रास्ता किस खसरे में है, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। मौका फर्द में रास्ता मौके पर अंतर भाग में चलना बताया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा रास्ते की लंबाई एवं प्रतिकर राशि को स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय पारित अपीलाधीन आदेश नॉन–स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 31/2021 बलराम बनाम भीकली इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 30 सितंबर 2022 को संशोधित किया जाता है एवं रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौका फर्द दिनांक 17.09.2022 के अनुसार खसरा नंबर 576 की दक्षिणी सीमा तक 15 फीट चौड़ाई का रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार भोपालगढ को निर्देशित किया जाता है कि वह मौके पर चलायमान रास्ते की अवस्थिति(मौके पर अपीलार्थीनी की भूमि/अंतर भूमि) को सुनिश्चित करे। यदि वांछित रास्ता अपीलार्थीनी की भूमि में सें चलायमान है तो रास्ते के रकबे की गणना कर नियमानुसार डी.एल.सी. की दुगुनी दर की प्रतिकर राशि की गणना कर अपीलार्थीनी को राशि का भुगतान करवाकर नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में राज्य पक्ष में सार्वजनिक रास्ते का अमल दरामद कर नक्शा ट्रेस में तरमीम अंकित की जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर